फैक्स/क्यूमेल/आवश्यक

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश।

टावर–1 चर्तुथ तल, सिग्नेचर बिल्डिंग गोमती नगर विस्तार, लखनऊ–226002

संख्याःअठ्ठारह–233–(एसआई लेखा)2023 दिनांकःलखनऊःजून 29 2024

आदेश

उत्तर प्रदेश पुलिस लिपिक, लेखा एवं गोपनीय सहायक संवर्ग सेवा नियमावली–2015 (यथा–संशोधित) में निहित निर्देशों के अर्न्तगत अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुये, ज्येष्ठता के आधार पर पुलिस उपनिरीक्षक (लेखा) से पुलिस निरीक्षक(लेखा) के पद पर पदोन्नति हेतु भर्ती बोर्ड स्तर पर गठित विभागीय चयन समिति की संस्तुति अध्यक्ष, उ0प्र0 पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड लखनऊ के पत्र संख्याः पीआरपीबी–चार–10(31)–2023 दिनॉक 20.09.2023 द्वारा इस मुख्यालय को उपलब्ध कराई गयी है, जिसमें 19 कार्मिकों को पुलिस उपनिरीक्षक (लेखा) से पुलिस निरीक्षक(लेखा) के पद पर पदोन्नति हेतु उपयुक्त पाया गया है। पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश द्वारा विभागीय चयन समिति की संस्तुति को अनुमोदित किये जाने के फलस्वरूप उपयुक्त पाये गये 19 कार्मिकों के सापेक्ष दिनांकः 31.05.2024 तक उपलब्ध 17 रिक्तियों के सापेक्ष पुलिस निरीक्षक(लेखा) के पद पर पदोन्नति आदेश निर्गत किया जा चुका है।

2. दिनांकः 30.06.2024 को पुलिस निरीक्षक(लेखा) के 02 कर्मियों के अधिवर्षता आयु पूर्ण कर सेवानिवृत्त होने के कारण वर्तमान में पुलिस निरीक्षक(लेखा) के पद की 02 रिक्तियां विद्यमान हैं, जिसके सापेक्ष अध्यक्ष उ0प्र0 पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड लखनऊ द्वारा उपलब्ध करायी गयी विभागीय चयन समिति की सूची के कमांक–18 एवं 19 पर अंकित कर्मियों को तत्कालिक प्रभाव से इनके वर्तमान नियुक्ति स्थान पर ही पुलिस निरीक्षक (लेखा) के पद पर पदोन्नति प्रदान की जाती है, जिसका विवरण निम्नवत हैः–

क्र0 सं0	ज्येष्ठता कमांक	पीएनओ	नाम	पिता का नाम	जन्म तिथि	वर्तमान नियुक्ति	चयन वर्ष
18	24	932500210	श्री कृष्ण राय	स्व0 श्री काशीनाथ राय	05-01-1971	महराजगंज	2023
19	27	932231376	सुभाष चन्द्र मिश्र	स्व0 शान्ति स्वरूप मिश्र	05-07-1974	बदायूं	2023

3. पदोन्नति पाये उपरोक्त पुलिस उपनिरीक्षक (लेखा) अपने नियुक्ति स्थान जनपद/इकाई/शाखा पर कार्यभार ग्रहण करेगें। उक्त कर्मी के परिवीक्षा काल हेतु उ0प्र0 पुलिस लिपिक लेखा एवं गोपनीय सहायक संवर्ग सेवा नियमावली–2015 (यथा संशोधित) में अंकित प्रावधान के अनुसार कार्यवाही अपेक्षित होगी।

4– पदोन्नति पर कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व संबंधित पुलिस उपनिरीक्षक (लेखा) से **संलग्न प्रारूप (क)** में स्वहस्ताक्षरित घोषणा–पत्र लेकर यह सुनिश्चित किया जायेगा कि शासनादेश संख्याः 13/21/89– का–1–1997 दिनांकः 28.05.1997 के खण्ड–2 में दी गयी निम्नलिखित 03 परिस्थितियॉः–

(क) यदि कार्मिक निलम्बित चल रहा है,

(ख) यदि कार्मिक के विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाही या प्रशासनाधिकरण की कार्यवाही लम्बित है, जिसके लिये आरोप–पत्र जारी किया जा चुका है।

(ग) यदि आपराधिक आरोप के आधार पर कार्मिक के विरूद्ध अभियोजन की कार्यवाही लम्बित है अर्थात न्यायालय में अभियोजन हेतु आरोप–पत्र प्रस्तुत किया जा चुका है। उपरोक्त तीनों परिस्थितियॉ सम्बन्धित पुलिस उपनिरीक्षक (लेखा) के विरूद्ध विद्यमान न हों।

Scanned with OKEN Scanner

5– यदि स्वहस्ताक्षरित घोषणा–पत्र में अथवा अभिलेखों में प्रस्तर–3 में अंकित परिस्थितियॉ विद्यमान नहीं हैं तो सम्बन्धित पुलिस उपनिरीक्षक (लेखा) को पुलिस निरीक्षक (लेखा) के पद पर कार्यभार ग्रहण कराया जायेगा। यदि स्वहस्ताक्षरित घोषणा–पत्र में अथवा अभिलेखों में प्रस्तर–3 में अंकित परिस्थितियॉ विद्यमान पायी जाती है तो सम्बन्धित कर्मी के पदोन्नति के आदेश का कियान्वयन न कराया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों सहित आख्या इस मुख्यालय को उपलब्ध कराते हुये दिशा–निर्देश प्राप्त किया जायेगा।

6– यदि सम्बन्धित पुलिस उपनिरीक्षक (लेखा) द्वारा स्वहस्ताक्षरित घोषणा–पत्र में अंकित कोई तथ्य असत्य अथवा छिपाया हुआ पाया जाता है तो सम्बन्धित पुलिस उपनिरीक्षक (लेखा) के विरूद्ध अभियोग पंजीकृत कराये जाने की कार्यवाही उस जनपद/इकाई द्वारा की जायेगी, जिस जनपद/इकाई में सम्बन्धित पुलिस उपनिरीक्षक (लेखा) द्वारा स्वहस्ताक्षरित घोषणा–पत्र प्रस्तुत किया गया है। साथ ही प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रति सहित संबंधित कर्मी को पदावनत किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही हेतु सम्पूर्ण तथ्य/अभिलेख इस मुख्यालय को उपलब्ध कराया जायेगा।

7– आदेश की प्रति उ0प्र0 पुलिस की वेबसाईट http://uppolice.gov.in पर प्रदर्शित की जा रही है।

संलग्नकः प्रारूप (क)

4.29/06

(प्रभाकर चौधरी)
पुलिस उपमहानिरीक्षक, स्थापना
उतर प्रदेश।

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को उपरोक्त सन्दर्भ में कृपया सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1–अध्यक्ष, उ0प्र0 पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड लखनऊ।
2–अपर पुलिस महानिदेशक बरेली/गोरखपुर जोन।
3–पुलिस महानिरीक्षक बरेली/गोरखपुर परिक्षेत्र।
4–वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, जनपद बदायूं/महाराजगंज।

Scanned with OKEN Scanner

स्वघोषणा—पत्र

मैं शपथकर्ता (नाम/पदनाम व पीएनओ)———————————————————— पुत्र

——————————निवासी————————थाना———————————जनपद——————————

वर्तमान में(जनपद/इकाई)———————————————————————नियुक्त हूँ। मैं प्रमाणित करता हूँ कि:—

(1) मेरे विरूद्ध उ0प्र0 अधीनस्थ श्रेणी के पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों की (दण्ड और अपील) नियमावली—1991 के नियम—14(1) के अन्तर्गत कोई विभागीय कार्यवाही लम्बित/प्रचलित नहीं है और न ही कोई आपराधिक अभियोग मा0 न्यायालय में विचाराधीन है।

(2) मेरे विरूद्ध उ0प्र0 अधीनस्थ श्रेणी के पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों की (दण्ड और अपील) नियमावली—1991 के नियम—14(1) के अन्तर्गत जनपद/इकाई————————में कार्यवाही प्रचलित है जिसमें दिनांक:——————को आरोप—पत्र दिया गया है।

(3) मेरे विरूद्ध मु0अ0सं0———————————धारा———————————————————थाना————————

जनपद——————————में लम्बित है, जिसमें दिनांक:——————————को स्थानीय पुलिस अथवा एजेन्सी————————————द्वारा आरोप—पत्र मा0 न्यायालय में प्रेषित किया गया है तथा अभियोजन कार्यवाही में———————————————स्तर पर चल रहा है।

2— मेरे द्वारा प्रस्तुत घोषणा—पत्र में अंकित तथ्य यदि असत्य अथवा छिपाया पाया जाता है तो मेरे विरूद्ध स्थापित विधि व्यवस्था के अन्तर्गत नियमानुसार विधिक कार्यवाही की जाय, जिस पर मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी। यह घोषणा—पत्र मेरे द्वारा पूर्ण रूप से होशोहवास में बिना किसी दबाव के दिया जा रहा है, जिसका मेरे द्वारा पूर्ण रूपेण पालन किया जायेगा।

हस्ताक्षर

नाम/पदनाम/पीएनओ
नियुक्ति स्थान—
दिनांक:—

प्रमाणित
जनपद/इकाई के प्रभारी

नाम/पदनाम की मुहर

नोट—स्वघोषणा—पत्र के प्रस्तर—1 के उपप्रस्तर—(1), (2) व (3) में से जो लागू न हो उसे स्पष्ट रूप से काट (x) दिया जाय।

Scanned with OKEN Scanner

Scanned with OKEN Scanner